

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 515/18-19



(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

रोहित भेंगरा

- विक्रेता

प्रभा कोनगाड़ी

- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
22.08.19	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक रोहित भेंगरा पिता ठुमा भेंगरा ग्राम-चुरगी, पोस्ट-तोरपा, थाना तोरपा, जिला खूँटी ने प्रभा कोनगाड़ी पति मनसिद कोनगाड़ी ग्राम-मनहातु, पोस्ट-तोरपा, थाना तोरपा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1" data-bbox="292 725 1374 824"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खेसरा सं०</th> <th>रकबा (एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>चुरगी</td> <td>50</td> <td>15</td> <td>12</td> <td>0.15</td> </tr> </tbody> </table> <p>आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र, खतियान एवं लगान की रसीद सं० 0161503983 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, तोरपा के पत्रांक 654 दिनांक 26.07.19 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम बड़ैया पाहन वगैराह है। पंजी II के अनुसार बड़ैया पाहन के नाम भूमि का रकबा 14.02 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 3.50 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-2019 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 4620.00 (चार हजार छः सौ बीस) रु० प्रति डिसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष रकबा 3.35 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना तोरपा के निवासी हैं एवं एक ही समुदाय (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, तोरपा ने क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, तोरपा से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण रोहित भेंगरा पिता ठुमा भेंगरा को प्रभा कोनगाड़ी पति मनसिद कोनगाड़ी के साथ ग्राम चुरगी के खाता सं० 15 खेसरा संख्या 12 कुल रकबा 0.15 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 4620.00 (चार हजार छः सौ बीस) रुपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, तोरपा के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित  भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी।</p> <p style="text-align: right;">  भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी।</p>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)	चुरगी	50	15	12	0.15	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)								
चुरगी	50	15	12	0.15								